न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः– 18-11-2022

अपील संख्या 53/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/00099)

1. नन्दकिशोर
2. पिंकी
3. लच्छा
4. सरिता
5. सुमन

पुत्र/पुत्रियां स्व. कालूराम जाति खत्री निवासी सांवराद तहसील लाडनूँ जिला नागौर

6. राधा पत्नी स्व. कालूराम जाति खत्री निवासी सांवराद तहसील लाडनूँ जिला नागौर

–अपीलांट्स

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17–05–1994
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 17–05–1984 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन किश्तों/कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को तहसील छत्तरगढ़ के चक 9 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 227/22, 227/40, 228/25 में तादादी 21 बीघा 13 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन वर्ष 1977 में किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि की किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट्स के पति/पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा वादगत् भूमि की किश्तें निरन्तर जमा करवाने के उपरान्त भी आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट्स के पति/पिता की कोई किश्त बकाया भी है तो भी अपीलांट्स आज दिनांक तक बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट् को समान भूमि अथवा इसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटित करने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—05—1984 के विरूद्व अपील दिनांक 24—03—22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—05—1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24—03—2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1977 में अपीलांट्स के पति/पिता के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह साबित है कि अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 08—04—1984 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिलिखित किया गया है कि आवंटी कालूराम पुत्र बेगाराम के नाम से चार किश्तों की राशि 2660/– बकाया है तथा मौके पर आबाद नहीं है। इसी कम में हमने अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध में **उपलब्ध कब्जा देने का प्रमाण पत्र** का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध कब्जा देने का प्रमाण पत्र पर दिनांक 28–10–1977 अंकित है तथा उक्त प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि कब्जा आवंटिती स्वयं को रूबरू मौतबिरान दिनांक 28–10–1977 को दिया जा चुका है तथा उक्त प्रमाण पत्र पर तत्कालीन पटवारी के हस्ताक्षर मय दिनांक व आवंटी कालूराम के हस्ताक्षर अंकित है तथा बतौर गवाहान बगेसिंह के हस्ताक्षर अंकित है तथा जिसे तत्समय के तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् आराजी जैर के आवंटी कालूराम पुत्र बेगाराम को कब्जा प्रदान कर दिया गया था तथा आवंटी द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाना की मौके पर आबाद न होना मिथ्या कथन साबित होता है। उक्त तथ्य की ताईद अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलांट्स के पति/पिता को जारी नहीं किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के खारिजी का अन्य बिन्दु किश्तें जमा नहीं करवाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमने आदेशिका दिनांक 08–04–1984 का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि आवंटी की चार किश्तें बकाया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय के साथ संलग्न आवंटन आदेश का अवलोकन किया। जिसमें आवंटन पश्चात् दस वर्ष तक 10 किश्तों के तमाम राशि जमा करवाया जाना निर्धारित है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 08–04–1984 में अभिलिखित किया गया है कि आवंटन की चार किश्तें बकाया है। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात् छहः किश्तें जमा करवाई जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तथा मौके पर आवंटी को कब्जा प्रदान किया जा चुका था, तो किश्तों/कब्जे के अभाव में अपीलांट्स के पति/पिता के विधिवत आवांटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। ऐसी स्थिति में 07

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साल तक लगातार किश्तें जमा करवाने व कब्जा प्राप्त के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व विधिवत आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 17–05–1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो तो बकाया राशि मय ब्याज तीन माह में जमा करवाकर आवंटन बहाल किया जावे अन्यथा भूमिहीन श्रेणी आवंटन के संबंध में उपनिवेशन नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के के तहत अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे आज दिनांक 18-11-2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जसवन्त चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर